①

# कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड,

छोकरा नाला लाभांडी, रायपुर

निविदा विज्ञप्ति क्र 928 रायपुर, दिनांक 04/12/2017

—: रुचि की अभिव्यक्ति का आमत्रंण :—

छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन, रायपुर द्वारा आंतरिक अंकेक्षण कार्य हेतु मुख्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखों हेतु आंतरिक अंकेक्षण की सेवा लिया जाना है। जिसके लिये सीलबंद लिफाफे में प्रस्ताव दिनांक 19/12/2017 समय 3.00 बजे तक आमंत्रित है। जिसका विस्तृत विवरण निगम के वेबसाईट www.cg.nic.in/csbc में उपलब्ध है।

URL:- https://csbc.cg.nic.in

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

# आंतरिक अंकेक्षण निविदा आवेदन पत्र का प्रारुप "अ"

1. फर्म का नाम एवं पता : ...............................................................

2. दूरभाष क्रमांक : ...............................................................

3. फर्म का (ICAI) विवरण : ...............................................................

   (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हैं)

4. आयकर का PAN क्रमांक : ...............................................................

   (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हैं)

5. सर्विस टैक्स विभाग का पंजीयन क्र.: ...............................................................

   (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न हैं)

6. अनुभव प्रमाण पत्र : ...............................................................

   (शासकीय/निगम मण्डल में कम से कम 3 वर्षो का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र)

7. अन्य कोई जानकारी यदि हो तो : ...............................................................

(संलग्न उक्तानुसार)

निविदाकार के हस्ताक्षर

# आंतरिक अंकेक्षण पारिश्रमिक का प्रारुप "ब"

(पृथक लिफाफे में होना आवश्यक है)

विहित फर्म में उपयुक्त निविदा सूचना में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तो पर आंतरिक अंकेक्षण हेतु आपका दर निम्नानुसार प्रेषित करता हूँ।

**निगम गोदाम हेतु :–**

| क्रं. | विवरण | राशि (टैक्स सहित) | राशि (टैक्स रहित) |
|---|---|---|---|
| 01 | निगम के मंदिर हसौद रायपुर गोदाम त्रैमासिक | | |
| 02 | निगम के लिंगियाडीह बिलासपुर गोदाम त्रैमासिक | | |

**मुख्यालय हेतु :–**

| क्रं. | विवरण | राशि (टैक्स सहित) | राशि (टैक्स रहित) |
|---|---|---|---|
| 01 | निगम मुख्यालय त्रैमासिक | | |

निविदाकार के हस्ताक्षर

# कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड
## आबकारी भवन, छोकरा नाला, लभाण्डी, रायपुर(छ.ग.)

रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के अंतर्गत रायपुर एवं बिलासपुर गोदामों, तथा मुख्यालय रायपुर के लेखा वर्ष 2017–18 के लेखा पुस्तकों एवं अभिलेखों का आंतरिक अंकेक्षण कार्य हेतु निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तो पर चार्टर्ड एकाउटेण्ड से सेवाएं लेना चाहता है। जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अंकेक्षण हेतु सेवाएँ देने में रुचि रखते हों वे अपनी सेवायें देने हेतु वार्षिक अंकेक्षण शुल्क राशि एवं सहमति प्रस्ताव, के साथ प्रबंध संचालक छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, पता रायपुर को दिनांक 19/12/2017 समय 3.00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से अथवा कार्पोरेशन कार्यालय में जमा कर सकते है। टेक्नीकल बीट और फायनेंसियल बीट समस्त दस्तावे एक बड़े लिफाफे के अंदर, जिसमें तकनीकि बीट एवं अंकेक्षण दर पृथक–पृथक लिफाफे में हो, निर्धारित तिथि एवं समय पूर्व जमा किया जाना होगा। आवेदन जमा हेतु नियत अंतिम तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। प्राप्त निविदा दिनांक 19/12/2017 को समय 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष निविदा खोला जावेगा। सर्वप्रथम तकनीकि बिट खोला जावेगा। आर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदादाताओं के ही अंकेक्षण दर को खोला जावेगा।

मुख्यालय एवं निगम के रायपुर/बिलासपुर गोदामों के अंकेक्षण कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक कार्यालय, छ.ग. स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, लाभांडी रायपुर, के लेखा शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

***आंतरिक अंकेक्षण हेतु योग्यता :–***

1/ आवेदित फर्म का नियंत्रक The Institute of Chartered Accountants of India & institute of cost accountants of India संस्था में कम से कम 10 वर्षो का पंजीकृत होना आवश्यक है। (सत्यापन हेतु प्रति संलग्न करें।)

2/ आवेदित फर्म या उसके प्रोपरार्टर या पार्टनर का अंकेक्षण कार्य अनुभव कम से कम 5 वर्षो का होना आवश्यक है। (सत्यापन हेतु प्रति संलग्न करें।)

3/ आवेदित फर्म का पंजीयन कार्यालय रायपुर में होना अनिवार्य है। (सत्यापन हेतु प्रति संलग्न करें।)

4/ आंतरिक अंकेक्षण हेतु आवेदित फर्म में कम से कम 2 पार्टनर फर्म आवेदन करने के योग्य है। इसका प्रमाण सी.ए./ Cost account संस्था के रिकार्ड में होना अनिवार्य है। वर्तमान constitution certificate सलंग्न करें।

5/ आवेदित फर्म का विगत 1 वर्षो का टर्नओवर 25 लाख होना आवश्यक है। (सत्यापन हेतु प्रति संलग्न करें।)

अंकेक्षण हेतु न्यूनतम त्रैमासिक अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :–

निगम गोदाम हेतु :–

| क्रं. | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 01 | निगम के मंदिर हसौद रायपुर गोदाम | 4000/– रूपये |
| 02 | निगम के लिंगियाडीह बिलासपुर गोदाम | 3000/– रूपये |

मुख्यालय हेतु :–

| क्रं. | विवरण | राशि |
|---|---|---|
| 01 | निगम मुख्यालय त्रैमासिक | 10000/– रूपये |

आंतरिक अंकेक्षण हेतु दिशा–निदेश/शर्ते :–

1) आवेदित फर्मो द्वारा फर्म से संबंधित समस्त दस्तावेजों (Technical Bid) एवं अंकेक्षण दर (Financial Bid) के लिये अलग–अलग बंद लिफाफा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। निगम द्वारा फर्म के संबंध में चाही गई दस्तावेजों के परीक्षण पर सही पाये जाने पर, प्रस्तुत अंकेक्षण दर के लिफाफा को खोला जावेगा।

2) आंतरिक अंकेक्षण का कार्य 1 वर्ष की होगी। कार्य सन्तोषजनक होने पर अंकेक्षण अवधि में वृद्वि की जा सकेगी।

3) स्वीकृत अंकेक्षण राशि के अलावा किसी प्रकार की कोई अन्य व्यय देय नही होगी।

4) निगम मुख्यालय एवं रायपुर/बिलासपुर गोदामों का अंकेक्षण मे पाये गये त्रुटी सुधार उपरांत आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट संतोषजनक होने पर पारिश्रमिक भुगतान की जावेगी।

5) आंतरिक अंकेक्षण निगम के संपूर्ण लेखों पर अंकेक्षण किया जाकर अंकेक्षण प्रतिवेदन महालेखाकार द्वारा उक्त वर्ष के प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

6) आंतरिक अंकेक्षण कार्य वर्ष समाप्ति के एक माह तक पूर्ण करना होगा.।

7) आंतरिक अंकेक्षण द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में निगम लेखों, टैक्स से संबधित समस्त लेखांकन एवं अग्रिम आयकर, बैंक समाधान विवरण (माहवार) तैयार कर वैधानिक अंकेक्षण से संबंधित रिपोर्ट में चर्चा अनुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8) आंबटित फर्म के द्वारा अंकेक्षण कार्य को किसी अन्य एजेंसी/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को हस्तांतरित नही किया जावेगा, ऐसा पाये जाने या समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नही किये जाने से निगम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

9) आंतरिक अंकेक्षण द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवदेन पर वैधानिक अंकेक्षण द्वारा परिक्षण या स्कुटनी में यदि कोई अन्तर/असमानता पायी जाती है तो आंतरिक अंकेक्षण द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किया जाना होगा।

10) विभाग द्वारा अंकेक्षण हेतु निर्धारित बिन्दुओ पर अंकेक्षण किया जाकर अंकेक्षण प्रतिवदेन के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भी प्रस्तुत किया जाना है। साथ ही सम्पूर्ण प्रतिवदेन एवं प्रपत्र का प्रमाणित करना आवश्यक है।

11) आंबटित अंकेक्षण कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण किया जाना है, अतः चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास ऑडिट हेतु पर्याप्त एवं प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए।

12) अंकेक्षण कार्य प्रांरभ करने के पूर्व लेखे की गोपनीयता बनाए रखने हेतु इस निगम द्वारा निर्धारित अभिस्वीकृति पत्र एवं अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।

13) उपरोक्त अंकेक्षण नियम एवं शर्ते तथा समयावधि अनुसार कार्य न होने पर अंकेक्षण देयक राशि से 20 प्रतिशत पेनाल्टी राशि की कटौती की जायेगी।

14) अंकेक्षण कार्य विवरण के अनुसार समस्त बिन्दुओं पर सही एवं उचित आडिट कर सत्यापित प्रतिवदेन निगम मुख्यालय में जमा करें अन्यथा आपको आगे वर्षो में निगम के अंकेक्षण कार्य हेतु अयोग्य घोषित किया जायेगा एवं अंकेक्षण फीस की कटौती की जायेगी।

15) समय– सीमा – निगम के रायपुर गोदाम में प्रति तिमाही में 15 दिवस एवं बिलासपुर गोदाम हेतु 7 दिवस एवं मुख्यालय में वार्षिक रिपोर्ट वर्ष समाप्ति के 30 दिवस में जमा करना होगा।

16) किसी भी प्रस्ताव को बिना कारण बताए अमान्य करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।

सलंग्न :–

1) आंतरिक अंकेक्षक का कार्य विवरण परिशिष्ट "अ"
2) आवेदन पत्र का प्रारूप।

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

# SCOPE OF AUDIT
## ( आंतरिक अंकेक्षण का कार्य विवरण)
(Head Office & Godown)

| क्र. | अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र | SCOPE OF AUDIT |
|---|---|---|
| 1. | Godown Commercial (Filed) Raipur / Bilaspur | 1. वित्तीय वर्ष में गोदामों में आय–व्यय पत्रक अनुसार संधारित पंजी एवं गोदामों में क्रय एवं विक्रय बिलों का 100 % परीक्षण व निगम में लागू नियम अनुसार दस्तावेजों की जांच करना। |
| | | 2. विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाईयों से क्रय किये गये विदेशी मदिरा परमीट अनुसार प्राप्ति व विक्रय पत्रक का लैंडिग प्राईस से मिलान कर जांच करना, साथ ही विनिर्माता / प्रदायकर्ता इकाईयों का समाशोधन प्रपत्र (Reconciliation Statment) अतांरिक अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ सत्यापित कर प्रस्तुत करना। |
| | | 3. गोदामों में हुई, ब्रेकेज (टूट–फूट) जैसे, परिवहन ब्रेकेज की साफ्टवेयर से बिल / पंचनामा अनुसार जांच कर पायी गयी त्रुटियों को सुधार कर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराना। |
| | | 4. लायसेंसियों को विक्रय की गई विदेशी मदिरा के विरुद्ध जमा राशि का बैंक स्टेटमेन्ट से मिलान कर अतंर राशि से महाप्रबंधक को अवगत कर नियमानुसार प्रवृष्टि करना। |
| 2. | Head Office, Raipur Account (Filed) | 1. मुख्यालय में स्थित समस्त व्हाउचर एवं डाटा एन्ट्री का परीक्षण करना।<br>2. समस्त व्ययों का परीक्षण वैधानिक नियमों एवं निगम के बजट प्रावधानों एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति इत्यादि का परीक्षण करना।<br>3. आयकर एडवान्स टैक्स, सर्विस टैक्स टी.डी.एस., पी.एफ. ई.एस.आई. एवं समस्त अन्य वैधानिक दायित्वों का समय पर भुगतान करना।<br>4. समस्त रिटर्न, आयकर सर्विस टैक्स टी.डी.एस. पी.एफ. ई.एस.आई. एवं अन्य समस्त प्रकार के रिर्टनो का परीक्षण करना।<br>5. निगम के समस्त बैंक खातों एवं बैंक समाधान विवरण तैयार करना।<br>6. निगम के समस्त लेखों एवं आय व्यय एवं बैलेंस शीट लेखों का परीक्षण करना।<br>7. कंपनी अधिनियम 2013 एवं जी.एस.टी. एवं अन्य नियमों का परीक्षण एवं रिर्पोटिंग करना एवं उसमें पाये गये त्रुटियों का सुधार करना। |
| | | 9. अंकेक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों का सुधार एवं प्रवृष्टि कर महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना। |
| | | 10. निगम लेखों से संबंधित समस्त व्यय एवं प्रोविजनल लेखों का जो लेखांकन में प्रवृष्टि से छुट गया हो उसे नियमानुसार समक्ष में प्रवृष्टि कराना। |

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर

# SCOPE OF AUDIT
## ( आंतरिक अंकेक्षण का कार्य विवरण)
(Head Office & Godown)

| क्र. | अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र | SCOPE OF AUDIT |
|---|---|---|
| 1. | Godown Commercial (Filed) Raipur / Bilaspur | 1. वित्तीय वर्ष में गोदामों में आय–व्यय पत्रक अनुसार संधारित पंजी एवं गोदामों में क्रय एवं विक्रय बिलों का 100 % परीक्षण व निगम में लागू नियम अनुसार दस्तावेजों की जांच करना। |
| | | 2. विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों से क्रय किये गये विदेशी मदिरा परमीट अनुसार प्राप्ति व विक्रय पत्रक का लैंडिग प्राईस से मिलान कर जांच करना, साथ ही विनिर्माता/प्रदायकर्ता इकाईयों का समाशोधन प्रपत्र (Reconciliation Statment) अतांरिक अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ सत्यापित कर प्रस्तुत करना। |
| | | 3. गोदामों में हुई, ब्रेकेज (टूट–फूट) जैसे, परिवहन ब्रेकेज की साफ्टवेयर से बिल/पंचनामा अनुसार जांच कर पायी गयी त्रुटियों को सुधार कर साफ्टवेयर में प्रविष्टि कराना। |
| | | 4. लायसेंसियों को विक्रय की गई विदेशी मदिरा के विरुद्ध जमा राशि का बैंक स्टेटमेंन्ट से मिलान कर अतंर राशि से महाप्रबंधक को अवगत कर नियमानुसार प्रवृष्टि करना। |
| 2. | Head Office, Raipur Account (Filed) | 1. मुख्यालय में स्थित समस्त व्हाउचर एवं डाटा एन्ट्री का परीक्षण करना।<br>2. समस्त व्ययों का परीक्षण वैधानिक नियमों एवं निगम के बजट प्रावधानों एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति इत्यादि का परीक्षण करना।<br>3. आयकर एडवान्स टैक्स, सर्विस टैक्स टी.डी.एस., पी.एफ. ई.एस.आई. एवं समस्त अन्य वैधानिक दायित्वों का समय पर भुगतान करना।<br>4. समस्त रिटर्न, आयकर सर्विस टैक्स टी.डी.एस. पी.एफ. ई.एस.आई. एवं अन्य समस्त प्रकार के रिर्टनो का परीक्षण करना।<br>5. निगम के समस्त बैंक खातों एवं बैंक समाधान विवरण तैयार करना।<br>6. निगम के समस्त लेखों एवं आय व्यय एवं बैलेंस शीट लेखों का परीक्षण करना।<br>7. कंपनी अधिनियम 2013 एवं जी.एस.टी. एवं अन्य नियमों का परीक्षण एवं रिर्पोटिंग करना एवं उसमें पाये गये त्रुटियों का सुधार करना। |
| | | 9. अंकेक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों का सुधार एवं प्रवृष्टि कर महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करना। |
| | | 10. निगम लेखों से संबंधित समस्त व्यय एवं प्रोविजनल लेखों का जो लेखांकन में प्रवृष्टि से छुट गया हो उसे नियमानुसार समक्ष में प्रवृष्टि कराना। |

महाप्रबंधक
छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस
कार्पोरेशन लिमिटेड,रायपुर